Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पुलिस थाना महिला, जोधपुर ग्रामीण का उपनिरीक्षक पुलिस 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जून, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गिरधारी लाल उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना महिला, जिला जोधपुर ग्रामीण को परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध पुलिस थाना महिला, जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी गिरधारी लाल उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना महिला, जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई** के सुपरवीजन में जोधपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर, श्रीमती अनु चौधरी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये गिरधारी लाल पुत्र श्री मांगीलाल निवासी ग्राम ढाढस, तहसील व पुलिस थाना समदड़ी, जिला बाड़मेर हाल उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना महिला, जिला जोधपुर ग्रामीण को परिवादी से **1 लाख रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।